सोमवार, दिनांक 22 दिसंबर, 2003
(पौष 1, 1925)

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत (वन्दे मातरम) की धुन बजाई गई.

2. द्वितीय विधान सभा के सदस्यों का स्वागत तथा एक मिनट का मौन

सामयिक अध्यक्ष ने द्वितीय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व स्थापित परंपरानुसार सदन द्वारा खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण किया गया.

3. छत्तीसगढ़ विधान सभा के अधिसूचित सदस्यों की सूची का पटल पर रखा जाना

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निदेशक-सह-प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना, जिसमें छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों की सूची दी गई है, सभा पटल पर रखी गई.

4. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री शिवप्रताप सिंह
2. श्री अघनसिंह ठाकुर
3. श्री बद्रीधर दीवान
4. श्री गणेश शंकर वाजपेयी
5. श्री धर्मजीत सिंह
6. श्री नोवेल कुमार

सामयिक अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि शपथ ग्रहण के पश्चात् यह सभापति तालिका प्रभावशील होगी.

5. शपथ ग्रहण

सामयिक अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि परंपरानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले शपथ लेते हैं, परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री जी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए पहले नेता प्रतिपक्ष शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे. तत्पश्चात् मंत्रिमण्डल के सदस्यगण एवं सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट सदस्यगण शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे. इसके बाद शेष माननीय सदस्यगण सचिव, विधान सभा द्वारा क्रमशः नाम पुकारे जाने पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार मेरे सामने आकर शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे और सचिव, विधान सभा की मेज पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे. जो सदस्यगण निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अंत में पुनः नाम पुकारे जाने पर वैसा कर सकेंगे. (सदस्यों ने निम्नलिखित क्रम में शपथ/प्रतिज्ञान लिया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया) :-

नेता प्रतिपक्ष

1.	श्री महेन्द्र कर्मा	69-दंतेवाड़ा (अ. ज. जा.) (प्रतिज्ञान)

मंत्रिमण्डल के सदस्य

2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	40-रायपुर नगर

3.	श्री अजय चन्द्राकर (डाला)	58-कुरुद
4.	श्री अमर अग्रवाल	30-बिलासपुर (प्रतिज्ञान)
5.	श्री रामविचार नेताम	05-पाल (अ. ज. जा.)
6.	श्री ननकीराम कंवर	21-रामपुर (अ. ज. जा.) (संस्कृत में शपथ)
7.	श्री गणेशराम भगत	11-बगीचा (अ. ज. जा.)
8.	श्री मेघाराम साहू	37-सक्ती
9.	श्री हेमचंद यादव	76-दुर्ग
10.	श्री विक्रम उसेंडी	62-नारायणपुर (अ. ज. जा.) (प्रतिज्ञान)
11.	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी	32-मस्तूरी (अ. जा.)
12.	श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	84-खुज्जी
13.	श्री केदार कश्यप	65-भानपुरी (अ. ज. जा.)
14.	सुश्री रेणुका सिंह	03-प्रेमनगर (अ. ज. जा.)
15.	श्री पूनम चन्द्राकर	56-महासमुंद
16.	श्री महेश बघेल	63-केशकाल (अ. ज. जा.) (संस्कृत में शपथ)
17.	श्री सत्यानंद राठिया	16-लैलूंगा (अ. ज. जा.) (संस्कृत में शपथ)

सभापति तालिका के सदस्य

18.	श्री शिवप्रताप सिंह	04-सूरजपुर (अ. ज. जा.)
19.	श्री अघनसिंह ठाकुर	61-कांकेर (अ. ज. जा.)
20.	श्री बद्रीधर दीवान	33-सीपत
21.	श्री गणेशशंकर वाजपेयी	47-बलौदाबाजार
22.	श्री धर्मजीत सिंह	26-लोरमी
23.	श्री नोवेल कुमार	39-चंद्रपुर

सदस्य

24.	श्री गुलाब	01-मनेन्द्रगढ़ (अ. ज. जा.)
25.	डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव	02-बैकुण्ठपुर
26.	श्री सिद्धनाथ	06-सामरी (अ. ज. जा.)
27.	श्री विजयनाथ	07-लुण्ड्रा (अ. ज. जा.)
28.	श्री रामसेवक पैकरा	08-पिल्खा (अ. ज. जा.)
29.	श्री कमलभान सिंह	09-अंबिकापुर (अ. ज. जा.)
30.	श्री अमरजीत	10-सीतापुर (अ. ज. जा.) (प्रतिज्ञान)
31.	श्री राजशरण भगत	12-जशपुर (अ. ज. जा.)

32.	श्री भरत शाह	13–तपकरा (अ. ज. जा.)
33.	श्री रामपुकार सिंह	14–पत्थलगांव (अ. ज. जा.)
34.	श्री ओमप्रकाश राठिया	15–धर्मजयगढ़ (अ. ज. जा.)
35.	श्री विजय अग्रवाल	17–रायगढ़
36.	श्री नंदकुमार पटेल	18–खरसिया
37.	डॉ. शक्राजीत नायक	19–सरिया
38.	श्री बलराम सिंह	29–तखतपुर
39.	महंत रामसुंदर दास	35–पामगढ़ (संस्कृत में शपथ)
40.	श्री मोती लाल	36–चांपा
41.	श्री धनेन्द्र साहू	42–अभनपुर
42.	श्री सत्यनारायण शर्मा	43–मंदिर हसौद
43.	श्री संजय ढीढी	44–आरंग (अ. जा.)
44.	श्री देवजी भाई	45–धरसींवा
45.	श्री चैंतराम साहू	46–भाटापारा
46.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	48–पलारी (अ. जा.)
47.	श्री राजकमल सिंघानिया	49–कसडोल
48.	डॉ. हरिदास भारद्वाज	50–भटगांव (अ. जा.)
49.	श्री चंदूलाल साहू	51–राजिम
50.	श्री ओंकार शाह	52–बिंद्रानवागढ़ (अ. ज. जा.)
51.	श्री त्रिलोचन पटेल	53–सरायपाली
52.	डॉ. त्रिविक्रम भोई	54–बसना
53.	श्री प्रीतम सिंह दीवान	55–खल्लारी
54.	सुश्री पिंकी ध्रुव	57–सिहावा (अ. ज. जा.)
55.	श्री देवलाल दुग्गा	60–भानुप्रतापपुर (अ. ज. जा.)
56.	सुश्री लता उसेंडी	64–कोंडागांव (अ. ज. जा.)
57.	डॉ. सुभाउ कश्यप	66–जगदलपुर (अ. ज. जा.)
58.	श्री बैदूराम कश्यप	67–केशलूर (अ. ज. जा.)
59.	श्री लच्छूराम कश्यप	68–चित्रकोट (अ. ज. जा.)
60.	श्री कवासी लखमा	70–कोंटा (अ. ज. जा.)
61.	श्री राजेंद्र पामभोई	71–बीजापुर (अ. ज. जा.)
62.	श्री दयालदास बघेल	72–मारो (अ. जा.)
63.	डॉ. चेतन वर्मा	73–बेमेतरा
64.	श्री रविन्द्र चौबे	74–साजा

65.	श्री ताम्रध्वज साहू	75–धमधा
66.	श्री प्रेमप्रकाश	77–भिलाई
67.	श्री भूपेश बघेल	78–पाटन
68.	सुश्री रमशीला साहू	79–गुण्डरदेही
69.	श्री बालमुकुंद देवांगन	80–खेरथा
70.	श्री प्रीतम साहू	81–बालोद
71.	श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम	82–डौंडीलोहारा (अ. ज. जा.)
72.	श्री संजीव शाह	83–चौकी (अ. ज. जा.)
73.	श्री प्रदीप गांधी	85–डोंगरगांव
74.	श्री विनोद खांडेकर	87–डोंगरगढ़ (अ. जा.)
75.	श्री देवव्रत सिंह	88–खैरागढ़
76.	मोहम्मद अकबर	89–वीरेन्द्रनगर
77.	श्री योगेश्वर राजसिंह	90–कवर्धा

मंत्रिमण्डल के सदस्य (शेष)

78.	श्री राजेश मूणत	41–रायपुर ग्रामीण

सदस्य (शेष)

79.	कुमारी कामदा जोल्हे	20–सारंगगढ़ (अ. जा.) (प्रतिज्ञान)
80.	श्री चंद्रभान	27–मुंगेली (अ. जा.)
81.	श्री सियाराम कौशिक	31–बिल्हा
82.	श्री लालसाय खूंटे	38–मालखरौदा (अ. जा.)
83.	श्री इन्दर चोपड़ा	59–धमतरी

6. अध्यक्ष का निर्वाचन

गृहमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ''श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए.''

कृषि मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ''श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए.''

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

सदस्य, श्री नोवेल कुमार द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ''श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए.''

शिक्षा मंत्री (श्री विक्रम उसेण्डी) द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

सदस्य, श्री संजीव शाह द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ''श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाए.''

सदस्य, श्री विजय अग्रवाल द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

कांग्रेस विधायक दल के नेता (श्री महेन्द्र कर्मा) ने भी सत्तापक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रतिपक्ष की ओर से समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

सामयिक अध्यक्ष द्वारा श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे को इस विधान सभा का विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया तथा उनके विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी.

(मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री महेन्द्र कर्मा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ससम्मान आसंदी की ओर ले गये)

[अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे) आसंदी पर पीठासीन हुए.]

नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर सदन का आभार प्रकट करते हुए उद्गार प्रकट किए.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री महेन्द्र कर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार, बहुजन समाज पार्टी के श्री लालसाय खूंटे, संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, गृह मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा सदस्य श्री रविन्द्र चौबे ने भी इस अवसर पर वर्तमान अध्यक्ष को बधाई दी तथा उद्गार प्रकट किए.

7. मुख्य प्रतिपक्ष दल तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न घोषणा की गई :-

''वर्तमान विधान सभा के अंदर प्रतिपक्ष दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तथा गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या है इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सदन का मुख्य प्रतिपक्षी दल और उनके नेता श्री महेन्द्र कर्मा को प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया जाता है.''

8. नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1), 225 (1), 231 (2), 232 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित समितियों के सदस्यों को वर्ष 2003-2004 की शेष अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियम 180 के उप-नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त करने की घोषणा की :-

1. कार्यमंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री ननकीराम कंवर

5. श्री महेन्द्र कर्मा
6. श्री रविन्द्र चौबे
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री भूपेश बघेल

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे.

2. विशेषाधिकार समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. डॉ. सुभाउ कश्यप
3. श्री प्रदीप गांधी
4. श्री देवजी भाई
5. श्री नंदकुमार पटेल
6. श्री धर्मजीत सिंह
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

3. नियम समिति

1. श्री अघनसिंह ठाकुर
2. श्री चंदूलाल साहू
3. सुश्री पिंकी ध्रुव
4. मोहम्मद अकबर
5. श्री ताम्रध्वज साहू

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के सभापति तथा श्री ननकीराम कंवर, विधि मंत्री पदेन सदस्य होंगे.

4. सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री देवलाल दुग्गा
2. डॉ. बालमुकुंद देवांगन
3. श्री भरत साय
4. श्री रामसेवक पैकरा
5. श्री कमलभान सिंह
6. श्री रामपुकार सिंह
7. डॉ. हरिदास भारद्वाज
8. श्री योगेश्वर राज सिंह
9. डॉ. चेतन वर्मा

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

मंगलवार, दिनांक 23 दिसंबर, 2003
(पौष 2, 1925)

1. शपथ/प्रतिज्ञान

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि जिन माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया गया है उनका नाम पुकारने के पश्चात् वे उनके सामने आकर शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और सचिव, विधान सभा की मेज पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा क्रमशः शपथ/प्रतिज्ञान किया गया और सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर अपना स्थान ग्रहण किया गया :-

1. श्री बोधराम कंवर, 22-कटघोरा
2. श्री रामदयाल उईके, 23-तानाखार (अ. ज. जा.) (प्रतिज्ञान)

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के परिचय-पत्र हेतु विधान सभा भवन में ही फोटोग्राफी की व्यवस्था कक्ष क्रमांक-01 में एवं रक्त परीक्षण की व्यवस्था भी बी-16, ऐलोपैथिक औषधालय में दिनांक 21 दिसंबर व 22 दिसंबर, 2003 के लिए की गई थी. इस सुविधा को मैंने आज 23 दिसंबर, 2003 तक बढ़ा दिया है. सभी माननीय सदस्य उक्त सुविधा का अवश्य लाभ लें ताकि उनके परिचय-पत्र बनवाकर उन्हें उपलब्ध करवाये जा सकें.

3. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.

महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन चल समारोह के साथ सभा भवन में हुआ.

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया.

महामहिम राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिए गए अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई.

4. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री प्रदीप गांधी, सदस्य द्वारा निम्नलिखित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

''महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं.''

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 24 दिसंबर, 2003 का समय निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 23 दिसंबर, 2003 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई.

बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2003
(पौष 3, 1925)

1. शपथ/प्रतिज्ञान

श्री चुरावन मंगेशकर, सदस्य ने शपथ ली, सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर अपना आसन ग्रहण किया.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा म. प्र. विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष पं. रामकिशोर शुक्ल, म. प्र. विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गणेशमल भंडारी तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री महेश तिवारी के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य डॉ. चेतन वर्मा, संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सत्र की कार्यवाही 10.53 बजे 05 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.01 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

3. त्याग-पत्र की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री रामाधार, सदस्य विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र-34 अकलतरा द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 2003 को अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे उसी दिनांक को स्वीकार कर लिया गया है.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार :-

(1) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक-8 सन् 2003) तथा,

(2) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक-10 सन् 2003)

पटल पर रखा.

2. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक-9 सन् 2003) पटल पर रखा.

3. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक-11 सन् 2003) पटल पर रखा.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) की धारा 90 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

1. अधिसूचना क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003 चॉइस दिनांक 19-8-2003
2. अधिसूचना क्रमांक 807/पीएस/एसआईटी/2003 चॉइस दिनांक 19-8-2003
3. अधिसूचना क्रमांक 813/सीए/एसआईटी/2003 चॉइस दिनांक 19-8-2003

पटल पर रखी.

6. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत जुलाई, 2003 सत्र में पारित विधेयकों में से 8 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 4 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है. दलीय आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया जाता है :-

1.	भारतीय जनता पार्टी	-	2 घंटे 32 मिनट
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	-	1 घंटा 49 मिनट
3.	बहुजन समाज पार्टी	-	6 मिनट
4.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	-	3 मिनट

उक्त समय में दलों के नेताओं के भाषण का समय भी शामिल है.

श्री प्रदीप गांधी, सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में अपना भाषण प्रारंभ किया.

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 29 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है, उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया गया है. निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

	सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
1.	श्री महेन्द्र कर्मा	6
2.	श्री रविन्द्र चौबे	12
3.	श्री मोहम्मद अकबर	14
4.	श्री सत्यनारायण शर्मा	14
5.	डॉ. चेतन वर्मा	7
6.	श्री महन्त रामसुन्दर दास	7
7.	श्री नन्द कुमार पटेल	5
8.	श्री गुलाब सिंह	2
9.	श्री ओंकार शाह	2
10.	श्री धर्मजीत सिंह	2
11.	श्री भूपेश बघेल	5
12.	श्री ताम्रध्वज साहू	4
13.	श्री गणेश शंकर वाजपेयी	4
14.	श्री लाल साय खूंटे	2
15.	कु. कामदा जोल्हे	4

	सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
16.	श्री चन्द्रभान	1
17.	डॉ. शक्राजीत नायक	4
18.	श्री राजकमल सिंघानिया	2
19.	श्री चैतराम साहू	3
20.	डॉ. हरिदास भारद्वाज	26
21.	श्री राजेन्द्र पामभोई	3
22.	श्री धनेन्द्र साहू	5
23.	श्री अमरजीत	3
24.	श्री बोधराम कंवर	5
25.	श्री चुरावन मंगेशकर	2

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री प्रदीप गांधी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सदस्य सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, भूपेश बघेल, अघनसिंह ठाकुर. सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा.

8. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि की उपस्थिति तथा स्वागत

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा की अध्यक्षीय दीर्घा में मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा विराजमान हैं. वे सदन की ओर से उनका स्वागत करते हैं.

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

सदस्य सर्वश्री इन्दर चोपड़ा, नंदकुमार पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, सुश्री रमशीला साहू, कवासी लखमा, लालसाय खूंटे, विजय अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुश्री लता उसेंडी, देवव्रत सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में प्रस्तुत संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया.

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.

प्रस्ताव की स्वीकृति पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. संकल्प

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

''हम सदन के सदस्यगण यह संकल्प व्यक्त करते हैं कि आने वाले वर्षों में राज्य के सर्वांगीण विकास, प्रदेश की प्रचुर प्राकृतिक संपदा के समुचित दोहन और जन-समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे और जन-अपेक्षाओं को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे.

यह राज्य समृद्धशाली बने, राज्य की शान्तिप्रिय जनता–स्वस्थ, सुखी हो और अपनी प्राचीन और गरिमामयी सांस्कृतिक धरोहर पर गौरवान्वित महसूस करे, इस दिशा में अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु हम सभी कृतसंकल्पित हैं.''

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प पर मत लिया गया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

सदन में राष्ट्रगान ''जन गण मन'' की धुन बजायी गई.